


उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास अनुभाग-03
संख्या: 1540/IV(3)/2024-11(03निर्वा0)/2024
देहरादून: दिनांक 23 दिसम्बर, 2024
अधिसूचना


'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 243- य क एवं उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959)(अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा 8(1) एवं धारा 50 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से उत्तराखण्ड राज्य के 11 नगर निगमों के सामान्य निर्वाचन 2024 हेतु श्री राज्यपाल निम्नवत समय सारणी निर्धारित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

क्र०सं०	कार्यक्रम	तिथि
1	नाम निर्देशन पत्रों को प्राप्त करने की तिथि	दिनांक-27 दिसम्बर, 2024 से दिनांक-30 दिसम्बर, 2024 तक
2	नाम निर्देशन पत्रों की जांच की तिथि	दिनांक-31 दिसम्बर, 2024 एवं दिनांक-01 जनवरी, 2025
3	नाम निर्देशन पत्रों की वापसी की तिथि	दिनांक-02 जनवरी, 2025
4	निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि	दिनांक-03 जनवरी, 2025
5	मतदान की तिथि	दिनांक 23 जनवरी, 2025
6	मतगणना की तिथि	दिनांक 25 जनवरी, 2025


(गौरव कुमार)
अपर सचिव।

संख्या: (1)/IV(3)/2024-11(03 निर्वा0)/2024, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को उत्तराखण्ड के आगामी असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशित कर उसकी 50-50 प्रतियां सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन एवं निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

संख्या: 540 (1)/IV(3)/2024-11(03 निर्वा0)/2024, तददिनांक।

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, देहरादून।
- 2- सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 4- निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
- 5- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
- 6-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 7-निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 8-आयुक्त, कुमायूं/गढ़वाल मण्डल।
- 9- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 10-प्रशासक समस्त नगर निगम उत्तराखण्ड।
- 11-समस्त नगर आयुक्त नगर निगम उत्तराखण्ड (द्वारा निदेशक शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून)।
- 12-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
१।
(प्रदीप कुमार शुक्ल)
उप सचिव।